


किस्म मुकदमा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र नं. 10 सन 2017

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्म की तामील में जारी हुऐ
14-08-2019	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक प्रार्थी श्री धन्नेसिह एव अप्रार्थी के अभिभाषक श्री विजय कुमार पारीक उपस्थित। आज रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर अंकित बिन्दुओ पर बहस कर कहा कि तारीख पेशी 24.7.2017 को मुर्कर थी। दिनांक 24.7.2017 को राजस्व मण्डल का कैम्प कोर्ट बीकानेर मे आया हुवा था। कैम्प कोर्ट मे वकील अपीलान्ट के कई मुकदमे लगे हुवे थे जिनकी पैरवी में काफी समय लग जाने के कारण इस अपील मे उपस्थित नही हो सका। वकील अपीलान्ट ने जानबूझ कर लापरवाही अथवा अन्य किसी उद्देश्य से उपस्थित नही रहने की मंशा नही रही है। अतः रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को रेस्टोर फरमाये जाने का आदेश फरमावे।</p> <p>अप्रार्थी के अभिभाषक श्री विजय कुमार पारीक ने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर (NO Objection) अनापत्ति किया।</p> <p>हमने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। श्री विजय कुमार पारीक द्वारा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर (NO Objection) अनापत्ति किया है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में दिये कारणो पर विश्वास करते हुवे रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को रेस्टोर किया जाता है। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र मूल अपील के साथ सलग्न हो।</p>	


 अध्यापक आयुक्त
 बीकानेर